



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 30 / 2022

दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. प्रमूलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....वादी

बनाम

01. घनसीराम पिता जालम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. छीतरलाल पिता सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. दूदी पुत्री सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्यारी पुत्री जालम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रमूलाल पिता सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजी पुत्री सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
07. हीरी पत्नि सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
08. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण सं. 1 से 5



वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :-

दिनांक :- 20 / 11 / 2025

सक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 18.08.2025 को प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी हुयी कि मौजा ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर तहसील बिजौलिया स्थित आराजी नम्बर 57 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 66 रकबा 0.3076 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 67 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 72 रकबा 1.0441 हैक्टेयर भूमि कुल किता 04 रकबा 2.2177 हैक्टेयर भूमि में वादी का 1/18 हिस्सा हैं। वादी का मौके पर जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये। प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार बिजौलिया से लिया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2025/1757 दिनांक 27.10.2025 से प्राथमिक डिक्री की पालना, मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी को स्वीकार है।


उप खण्ड अधिकारी

लगातार पेज संख्या 02 पर

बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण की उपस्थिति में तैयार करना भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटियां ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	प्रभुलाल पिता भंवरलाल भीणा निवासी भीलों का मोहल्ला मजरा दांता थडोदा रहन BOB शाखा बिजौलियां	जलेरी	57/1	0.0130
		विरान	66/1	0.0460
			67/1	0.0642
	योग		खसरा 03	0.1232
02	घनसीराम पुत्र जालम भील हि0 7392/20945 छीतर पुत्र सवाईराम भील हि0 1232/20945 दूदी पुत्री सवाईराम भील हि0 1232/20945 प्यारी पुत्री जालम भील हि0 7392/20945 प्रभु पुत्र सवाईराम जाति भील हि0 1232/20945 राजी पुत्री सवाईराम भील हि0 1232/20945 हीरी पत्नि सवाईराम भील हि0 1233/20945 सा0 जलेरी खातेदार	जलेरी	57/2	0.3107
		विरान	66/2	0.2616
			67/2	0.4781
			72	1.0441
			योग	

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। वकील वादी निर्धारित नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करें तब डिक्री मूर्तिब की जावें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

निर्णय आज दिनांक २०/११/२०२५ को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : - अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण संख्या 30/2022

दायर दिनांक 05.05.2022

अनवान

01. प्रभुलाल पिता भंवरलाल जाति मीना उम्र वयस्क निवासी दांता उर्फ छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..... डिक्रीदार

बनाम

01. घनसीराम पिता जालम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. छीतरलाल पिता सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. दूदी पुत्री सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. प्यारी पुत्री जालम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. प्रभुलाल पिता सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजी पुत्री सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
07. हीरी पत्नि सवाईराम जाति भील उम्र वयस्क निवासी जलेरी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0) फोट (नाम हटाया 18.08.2025)
08. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....मदयूनान

उपस्थित :- 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ - विद्वान अधिवक्ता वादी

02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण सं. 1 से 5

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक : 20/11/2025

डिक्री दिनांक : 20/11/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ एकपक्षीय को हुकम दिया है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर डिक्री इस आशय कि जारी की जाती है कि :- निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम ग्राम जलेरी विरान पटवार हल्का नयानगर के राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उ
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

क्र.सं	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
01	प्रभुलाल पिता भंवरलाल मीणा निवारसी भीलों का मोहल्ला मजरा दांता थडोदा रहन BOB शाखा बिजौलियां	जलेरी विरान	57 / 1	0.0130
			66 / 1	0.0460
			67 / 1	0.0642
	योग		खसरा 03	0.1232
02	घनसीराम पुत्र जालम भील हि0 7392 / 20945 छीतर पुत्र सवाईराम भील हि0 1232 / 20945 दूदी पुत्री सवाईराम भील हि0 1232 / 20945 प्यारी पुत्री जालम भील हि0 7392 / 20945 प्रभु पुत्र सवाईराम जाति भील हि0 1232 / 20945 राजी पुत्री सवाईराम भील हि0 1232 / 20945 हीरी पत्नि सवाईराम भील हि0 1233 / 20945 सा0 जलेरी खातेदार	जलेरी विरान	57 / 2	0.3107
			66 / 2	0.2616
			67 / 2	0.4781
			72	1.0441
	योग		खसरा 04	2.0945

उक्तानुसार डिक्री मूर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे।

नीज Nil मुबलिंग Nil बाबत्
Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूल याबी तक Nil का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 11 वर्ष 2025 को
जारी किया गया।

नोट:- प्रकरण में वकील वादीगण द्वारा स्टाम्प 100 रूपयें का प्रस्तुत करने से डिक्री आज दिनांक
20/11/2025 को मुर्तिब की गई।



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजी दया	-		स्टाम्प अरजी दया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
मेहनताना वकील ()	-		मेहनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीशनर	-		फीस कमीशनर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		



3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां